

(ii) after sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely:—

“(4) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before each House of Parliament as soon as may be after they are made and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following.”

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The amendment No. 1 to clause 18 is barred.

The question is:

“That clause 16, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clauses 17, 18 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri B. E. Bhagat: I move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

Mr. Speaker: Motion moved:

“That the Bill, as amended, be passed.”

Shri Vajpayee (Bairampur): Before the Bill is finally passed, may I know from the Minister if the Delhi Advisory Committee was consulted before and after the formulation of this Bill, and if so, what were their reactions?

Shri B. E. Bhagat: According to the normal procedure, the Advisory Committee was apprised of these proposals.

Shri Vajpayee: My question was what were their reactions.

Mr. Speaker: Were they specifically consulted on this matter and their reactions obtained?

Shri B. E. Bhagat: The Advisory Committee is not a statutory committee. But the Home Minister mentioned these proposals to them. The Advisory Committee does not deal with taxation measures, although financial accounts and other things are placed before it. But the Committee does not deal with any financial proposals. According to the information I tried to gather, the Home Minister mentioned this to the Advisory Committee. That was why I used the word ‘apprised’.

Shri V. P. Nayar: This point was specifically raised yesterday. When I was speaking, I submitted that this seemed to be something like a violation of the principle of no taxation without representation. I also said that probably no interests would have been consulted. I wanted to know, if that was incorrect, who were the interests consulted. I specifically asked it. The hon. Minister did not answer that point. That was the reason why Shri Vajpayee has again raised it.

Mr. Speaker: He has answered it now by saying that the Committee was informally consulted, that it was not obligatory on Government to consult it.

Shri V. P. Nayar: Consulted, but informed. The two are different.

Mr. Speaker: Because they have no statutory right.

The question is:

“That the Bill, as amended, be passed”.

The motion was adopted.

12-46 hrs.

DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION) AMENDMENT BILL

The Minister of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri Mohr Chand Khanna): I beg to move:

“That the Bill further to amend the Displaced Persons (Compensation

[Shri Mehr Chand Khanna] sation and Rehabilitation) Act, 1954, be taken into consideration".

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): What is the time allotted to this Bill?

Mr. Speaker: 1 hour and 30 minutes.

Shri D. C. Sharma: So many speakers are there.

Shri Mehr Chand Khanna: It is not a matter of very great pleasure to me to introduce this Bill. I believe I will be failing in my duty, both to the taxpayer and to the displaced persons, if I had not brought this measure before the House.

In 1954, when the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act was passed, there was a specific provision under section 21 that any sum payable to the Government or to the Custodian in respect of any evacuee property under any agreement, express or implied, lease or other document and so on and so forth, and any sum payable to the Government in respect of any property in the compensation pool may be recovered in the same manner as an arrear of land revenue. But under section 30, another provision was inserted to the effect that a displaced person could have a demand notice served on him and attachment could be ordered but he could not be arrested. That provision was inserted five years ago under section 30 of that Act.

Now we have to take into consideration what is the necessity today of my coming before the House and requesting the House to arm me with powers to have arrested a DP—I happen to be one of them, and I happen to be their Minister—to resort to this extreme penalty of having a man arrested. The position in 1954, that is about five years ago, was that we were still in the process of rehabilitation. Our rehabilitation programme

had not been completed. Uptil now, on the rehabilitation of displaced persons from West Pakistan—I am not talking of East Pakistan—we have spent about Rs. 190 crores, and during the last five years, that is, between 1954—1959, we have spent roughly Rs. 50—Rs. 60 crores—I am talking from memory. Today, though some of my hon. friends do not agree with me, as far as the western region is concerned, we have reached a stage when I can safely say and assert that our rehabilitation programme, by and large, excepting a small residual problem here and there, has been completed.

Another thing that we have done in the last five years is that we formulated the final compensation scheme and introduced it in this House towards the end of 1955. During the last 3 years of the implementation of that compensation scheme, we have disposed of nearly 4 lakh cases out of 4,80,000; and we have paid compensation, roughly of about Rs. 110 crores, of which about Rs. 55 crores is in hard cash.

(On the rural side, we have given permanent allotments—I am not talking of quasi-permanent allotments—to about 2½ lakh people and the land covered is roughly 20 lakh standard acres. In addition, there would be about a lakh or two lakhs of rural houses—the figure is being disputed. But, whatever the figure may be, permanent rights in lands worth about Rs. 100 crores have been transferred to the allottees.

So, I was trying to place before the House the picture that exists today and the picture that existed 5 years ago. This is what we have done for the claimants.

There is another category of persons among the displaced persons who are non-claimants. Non-claimants are those who never owned any property in West Pakistan. That is a point which has to be remembered. Every-

one who has come from West Pakistan, and, I may even tell my friend sitting opposite from East Pakistan, cannot claim that he possessed property. So, we have a substantial number of persons or a fairly large number of persons who were non-claimants or who did not own any urban evacuee property or any rural evacuee property in Pakistan.

In the case of these non-claimants, according to our conservative estimates, the property in their possession is roundabout Rs. 50 crores—may be Rs. 60 crores. The property in the evacuee pool is worth about Rs. 100 crores; what we have built ourselves is roughly about Rs 50 to Rs. 60 crores. Leaving aside the locals, some of whom are in possession of our evacuee property The remaining portion comes to roughly about Rs 50 crores to Rs. 60 crores. That property today is in the possession of the displaced persons—I mean that category of displaced persons who are non-claimants.

I wish to tell the hon. House certain steps that we have taken to make the non-claimants owners of this property because that is very relevant to the issue. First of all, the limit of allottable property was Rs. 5,000 and of shops Rs 2,000. We raised the limit of allottable property to Rs. 10,000 meaning thereby that any displaced person in the western region who is occupying property of the value of less than Rs. 10,000 can become the owner of that property according to certain conditions.

The conditions are that, firstly, the value of the property was to have been paid within 2 to 4 years. We have now extended the period to 8 years. Previously, the instalment was, in certain cases 33 per cent, in others, 25 per cent and in the properties lying far away or in less popular colonies, the instalment was 20 per cent. We made it uniform and brought it down from 33 per cent to 20 per cent, uniform in all cases.

Another thing that we did was that from 1st October, 1955, that is when the rules were passed by this Parliament—the last date was roundabout 27th or 28th September—we decided that any property which is in the possession of a displaced persons that is of a value less than Rs. 10,000 and in all there are lakhs government buildings—barring a few here and there, I can safely say without the least fear of contradiction—all of them—about 198,000 would be allottable. Maybe just a thousand or 2,000 are not allottable; that is they are over the value of Rs. 10,000.

In Delhi, we have built about 50,000 tenements. All of them—I am speaking subject to correction—excepting 3,00 to 4,00, are allottable. So, we decided that from those displaced persons who are in occupation of all allottable property no rent will accrue from the 1st October, 1955, that is 4 years ago. Any person who wishes to exercise his option of becoming the owner of my allottable property in his possession will not be charged rent from the 1st October, 1955.

Another thing, that we have done is this—and that is by implication—though I am not responsible for it. As the property vests in the President and no local taxes can be charged on property that vests in the Government, the displaced person who is in possession of allotable property is not also paying any local taxes.

Then, we decided that the period of instalment should be raised from 4 to 8 years. This again is worth consideration. I announced the scheme in 1953. The period of instalment in the case of those who accepted to opt and take possession of the property will start from 1955, that is 4 years ago. But, in the case of a man who defaults and neither pays the rent nor pays the taxes nor purchases the property, the period of instalment if he ever chooses to opt, will start from the date that he exercises his option. It means that he is getting 4 years extra. If he comes to a decision today

[Shri Mehr Chand Khanna]

he will get 4 years extra. The normal period of instalment is 8 years but in the case of that man the period of instalment is 12 years.

Another important thing is this. It was represented to me that my friends are not in a position to pay rent. They are in arrears and so we should show them a certain amount of consideration. Any landlord who sells his property to anybody would first of all see that his rents are realised in full before he is asked to pay the capital value of his property. I am one of those strange landlords who has decided that the rent will also be realised in the same number of instalments as the loan—I mean the price of the property. Let me explain it.

Supposing my friend sitting opposite, Shri Vajpayee, chooses to purchase one of my houses. First of all, the first instalment will start from today—not from 1965—As he has not paid my rent which amounts roughly to about Rs. 8 crores or Rs. 9 crores, I am asking him to pay that rent not in one lump sum but only 20 per cent today and the balance over 7 years. That is, the realisation of the arrears of rent will be coterminous with the life of the instalments. If the instalments are for 8 years, the rent can also be paid in 8 years.

Another point that came to my notice was that they were not in a position to pay because like others they have no claims. A claimant can have his claim adjusted as public dues. I have given the non-claimant the concession that he can have the claim of anybody—his friend or relation—adjusted. Instead of paying me in cash, excepting 20 per cent of the first instalment, the balance he can even pay to me in the claims of his friends and relations, so that there is no direct pressure on him to pay cash to me. This is what we have done in the case of all our non-claimants. I repeat that the value of the property, instead of Rs. 5,000, has been raised

to Rs. 10,000. The number of annual instalments have been increased to eight. The amount of the first instalment has been reduced from 33 to 20 per cent. No rents are accruable from 1st October, 1955. Rents can also be paid in instalments over a period of eight years. They can also have the claims of their relations and friends associated. Instead of paying me in cash they can pay me through the statement of accounts or the claims of anybody else. Having gone to that limit, I find today that on the one hand we have been giving concessions after concessions; I have been drawing upon the general revenues of the country and I have paid Rs. 55 crores in cash during the last three or four years, a substantial part of which has come from the general revenues of the country. On the other hand Rs. 8 crores are owed to me on account of arrears of rent. What am I to do? I feel today that are placing a premium on default; they are only placing a premium on organised demonstrations. people go and sit outside the house of the Prime Minister, they come to my house every morning or sit outside the house of somebody else. I know my friends well they talk a lot. If any of my friends come and tell me that the value of his property in Delhi is not fair and the displaced persons does not want to have it, I am prepared to sell it in open auction and he can back out of it, he can resale from it. The value of properties in Delhi has gone up by 300 per cent. Where I have sold a tenement or a house to a displaced person for Rs. 5,000, today I am happy that he can realise Rs. 15,000 or Rs. 20,000 for that, the same tenement or house. Where I fixed the value of my land at Rs. 10 a square yard, today the land value is Rs. 60, Rs. 70 or Rs. 80 per square yard. I am not grudging all that. What I am saying is this. We gave him the concession in 1954 namely that the process of arrest will not be exercised against him, I feel that after five years of rehabilitation, compensation and the various concessions that we have given to the dis-

placed persons in the country, I may be forgiven if I say that a displaced person is no worse than any local person, he may even be a little better off; if certain penal action can be taken against a local person, a national of this country for the arrears of rent or for any other default, I see no reason why the same action should not be taken against displaced persons who wilfully default and wilfully neglects to pay arrears of rent.

There is however one very healthy provision in this amending Bill and that is this. In spite of all that we have done and what we propose to do, it has been laid down here:

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1) if the Chief Settlement Commissioner is of opinion....."

He is the highest authority under the Compensation Act and he deals with the compensation.

".....is of opinion that a person is refusing or neglecting or has refused or neglected to pay any sum due under this Act, he may, after giving such person an opportunity of being heard...."

I am not asking the Tehsildar or any such authority as the State Government usually empowers to sell the property and put him in jail. It is the Chief Settlement Commissioner. Then, he will give an opportunity to the defaulter and he will ask him to come and say why he is not in a position to pay the arrears.

"...opportunity of being heard, by order in writing stating the grounds therefore, direct that the provisions of sub-section (1) shall not apply to him."

I have provided enough safeguards. I can only say that in the case of to unfortunate brethren of mine who are in straitened circumstances and are not in a position to pay, the

matter will always be dealt with sympathy and consideration. But there are those who wilfully neglect, those who wilfully default and those who do not pay me. They charge from their sub-tenants regularly, monthly rent. People come to me now saying: "You are asking Ru. 30 from him; I am sitting on the platform of that shop and I am paying Ru. 40. Can you come to my help?" I have to say: "I am sorry; I cannot do anything at all. That property is in the possession of a displaced person." I do not say that I can generalise from one or two instances but by and large the position is this. I am only saying this. Where the sub-tenants are concerned, every penny is being realised but where the Government is concerned, huge arrears are accumulating.

My two friends have given notice of motions for circulation for eliciting public opinion. I do not know whose opinion they want to elicit. If the idea is to elicit the opinion of the defaulters, I can tell them in advance that I shall have to oppose their motions.

Mr. Speaker: Motion made:

"That the Bill further to amend the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, be taken into consideration."

I find that there are certain amendments for circulation. Shri Vajpayee may move his amendment.

Shri Vajpayee (Balrampur): Sir, I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st August, 1959."

प्रधान मंत्री, मैं यह संकोचन उपस्थित करता हूँ कि इस विधेयक को जनमत को जानने के लिये प्रचारित किया जाये।

श्री वजीजी ने इस विधेयक को उपस्थित करने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए जो कुछ कहा है उससे इस बात की आशंका

[श्री वाशेयी]

शक्यता प्रकट नहीं होती कि सरकार के हाथों में गिरफ्तारी का हथियार देने वाला इस प्रकार का कानून बनाने की आवश्यकता क्या है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अभी ऐसे कितने मामले हैं जिनमें कि राराया नहीं दिया गया, और उनमें ऐसे कितने हैं कि व्यक्ति राराया देने की स्थिति में है मगर उन्होंने दिया नहीं। इसके साथ ही उनके पास इस बात के भी आकड़े नहीं हैं कि वस्तुतः ऐसे लोगों की संख्या कितनी है कि जो सचमुच राराया नहीं दे सकते वे और जिन्हें बाद में चीफ सैटिलमेंट कमिश्नर के द्वारा इस कानून की परिधि से बाहर किया जायेगा। यदि मैं वे जनमत जानने के लिये इसको प्रचारित करने का संशोधन उपस्थित किया है तो इसी लिए। क सदन के सामने वे तथ्य नहीं रखे गये हैं जो उसे इस बात के लिये प्रेरित कर सकें कि वह सरकार के हाथ में इतने बड़े अधिकार रखे।

अध्यक्ष महोदय, आज मई दिवस है। आज संसार के पीड़ित और क्षोभित अपने अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे हैं। मगर हमारे पुनर्वासि मंत्री ने बेधरबार लोगों को मई दिवस का उपहार दिया है गिरफ्तारी के रूप में। वह जिन्हें काम सौंपा गया विस्थापितों को बसाने का, अपने दायित्व का उन्होंने मलीमाति पालन किया है इस प्रकार का दावा करते हुए भी वे ऐसा विधेयक सदन के सामने लाये हैं जिससे यह प्रकट होता है कि अभी तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापितों को ठीक तरह से बसाया नहीं जा सकता और उनके बसाने में जो समस्यायें उत्पन्न होती हैं उनका समुचित रीति से निराकरण नहीं किया जा सका।

विस्थापितों पर कितने करोड़ रुपये खर्च किया गया इससे विस्थापितों को ठीक तरह से बसाया गया है या नहीं यह प्रमाणित नहीं होता। रुपये की राशि से विस्थापितों के समुचित पुनर्वास को प्रमाणित नहीं किया

जा सकता। अगर यहाँ यह दावा किया जाता है, जैसा कि दावा अभी किया गया है, कि हमने पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों को बसाने की समस्या पूरी तरह से हल कर दी है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस दावे की जांच के लिए एक इम्पारटियल कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिए। जो इस बात को देखे, पता लगाये, कि क्या सचमुच में विस्थापित पूरी तरह से बसाये गये हैं, और नम्बर २, जो बसाने में करोड़ों रुपया खर्च हुआ है क्या वह ठीक तरह से खर्च हुआ है। मंत्री महोदय इस प्रकार के कमीशन को नियुक्त के लिये तैयार नहीं हैं। इससे मालूम होता है कि पुनर्वास के जो दावे किये जाते हैं वे पूरी तरह से सही नहीं हैं और उसमें गोल-माल की काफी गुंजाइश है।

अभी यह बात कही गयी कि दिल्ली में सम्पत्ति की कीमत बढ़ गयी है, ३०० प्रतिशत बढ़ गयी है, और जिन विस्थापितों को मकान और डुकानें मिली हैं वे यदि चाहें तो उन्हें छोड़ जा सकते हैं। यह कहना जले पर नमक छिड़कने की तरह है। अगर दिल्ली में कीमतें बढ़ गयी हैं तो इसके लिये सरकार की नीति उत्तरदायी है, जो कम दाम पर जमीन प्राप्त करती है और पुरुषार्थियों को महंगे दाम पर जमीन बेती है। श्रील कुंरंजा में, रमेश नगर में, तिहाड़ में, जो बहा के पुराने रहने वाले थे उनसे ६ आने और चार आने गज जमीन ली गयी, अभी तक उन्हें उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की गयी है, लेकिन पुरुषार्थियों को वह जमीन तीन रुपये गज पर दी जा रही है, उसके साथ ही ८ रुपये गज पर डेबेलपमेंट चार्ज्ड लिए जा रहे हैं और कुल मिलाकर ११०० रुपये की अब उनमें बसूली की जा रही है। अभी तक यह बसूली ५ किशतों में होती थी लेकिन अब तीन किशतों में बसूली की जा रही है, और उन्हें यह भी आवेक दिया गया है कि वे ३१ जुलाई तक एक किशत जमा कर दें। रमेश नगर में और मोती नगर में

सी० टाइप के टेनेमेंट्स हैं, एक कमरा ऊपर है और एक नीचे और उसके लिए ९,५०० रुपये बसूल किये जा रहे हैं। न कोई रसोईघर है, न स्नानागार है, न शौचालय है, और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उनके जो दावे हैं, उनके दावों के बाद उन पर जो किराया भ्राज लागू होता है उसका ठीक तरह से एडजस्टमेंट नहीं किया गया। और चूंकि एडजस्टमेंट नहीं किया गया, इसलिये वह आपत्तियां कर रहे हैं, उनकी कठिनाइयां हैं, जिन्हें कोई सुनता नहीं है। और अब सरकार ऐसा कानून चाहती है कि जिसमें उन्हें गिरफ्तार करके जेल में दिया जाये। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हू कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, मगर जिनके पास पैसा नहीं है उनसे पैसा बसूल नहीं कर सकते। यह समस्या गिरफ्तारी से हल होने वाली नहीं है। जो लोग देने की स्थिति में नहीं हैं

श्री मेहर चन्द खन्ना : जिसके पास किराया देने को नहीं है वह मालिक कैसे बनना चाहता है।

श्री बाजपेयी : वह इसलिये बनना चाहता है कि वहा सम्पत्ति छोड़ कर भागा है और उसके जो दावे हैं

श्री च० का० भट्टाचार्य : (पवित्रम दीनाजपुर) : आपकी कृपा से।

श्री बाजपेयी : उनके दावे धमी तक आपने नहीं निपटाये हैं।

Shri Mehr Chand Khanna: At the neighbour's expense he wants to become the owner.

श्री बाजपेयी और आपका दावा भी है, आपने उनको मालिक बनाने का जिम्मा भी लिया है। देश की आजादी के बाद जो विश्राजन हुआ उसके लिए उन भवाने पुरुषाधियों को बोध नहीं दिया जा सकता। उसके लिये सरकार उत्तरदायी है, और सरकार को उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।

मैंने धमी कहा कि बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें कलेम्स का एडजस्टमेंट नहीं किया गया है, और बसुली सकी हुई है। क्या इस विधेयक के कानून बनने का परिणाम यह नहीं होगा कि उनके खिलाफ जबरदस्ती की जायेगी। आप अगर चाहते तो पिछले १२ साल में इस तरह के मामले निपटा सकते थे, मगर मामले नहीं निपटाये गये और उनके सामने गिरफ्तारी का एक राजदण्ड दिखाया जा रहा है।

धमी मंत्री जी ने दावा किया कि हमने बसा दिये हैं। दिल्ली में, सरकार की नाक के नीचे एक पुराना किला भी है। है तो वह एक आरकियालाजीकल मान्यमेंट, पुरातत्व विभाग का एक स्मारक है, लेकिन यदि मैं यह कहूँ कि यह पुनर्वास मंत्रालय की वित्थापितों को बसाने की प्रस्थिर नीति का जीता जागता स्मारक है तो इसमें कोई प्रतिशयोक्ति नहीं होगी। अब उनके बारे में कहा जाता है हमारी तो जिम्मेदारी खत्म हो गयी और हम फार भाल टाइम टु कम उनको बसाने की जिम्मेदार नहीं ले सकते। मैं कहना चाहता हू कि फार भाल टाइम टु कम तो आप यहा रहने वाले भी नहीं हैं कि जो आप उनकी जिम्मेदारी लेंगे।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं आपका मसकूर हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ।

श्री बाजपेयी : यह सरकार फार भाल टाइम टु कम रहने वाली नहीं है। इसलिये जब तक आप यहां हैं तब तक अपनी जिम्मेदारी का पालन करिये।

Shri Mehr Chand Khanna: A single swallow does not make a summer.

श्री बाजपेयी : आपने भी धमी एक उदाहरण देकर कहा था कि जो कुटपाब पर बैठे हुए हैं उनसे ४० रुपया किराया मांगा जाता है जबकि कुल किराया ३० रुपये है। यदि आप वह उदाहरण देते हैं तो पुराने किले के पुरुषाधियों का उदाहरण भी देना चाहिए।

[श्री राजपेरी]

पहले उनसे कहा गया कि प्राय ६०,००० रुपये लाइये और यह रुपया प्रायके लिये जो मकान बनने हैं उन पर खर्च किया जायेगा और बाद में कहा गया कि प्रायके किराये में काटा जायेगा ।

Mr. Speaker: Is it a fact that the residents in Purana Quila—refugees—were offered alternative accommodation before they were asked to go?

Shri Mehr Chand Khanna: Sir, I have offered them alternative accommodation not once but three or four times. The only point is,—I have placed that before this House very respectfully—that they want a particular piece of land on which we have got our military installations. That is a site of military importance. I have offered them land in Lajpatnagar, which is one of my best colonies. We have schools there, hospitals there, a college there....

Mr. Speaker: Is it not far off?

Shri Mehr Chand Khanna: Today there is constant demand upon me for allotment of plots in Lajpatnagar. But, unfortunately, for my friends in Purana Quila, whereas for the rest it is a human problem of rehabilitation, they have converted it into a political problem. I may inform my hon. friends over there....

Mr. Speaker: Does the hon. Minister propose to build houses and give them as in the other cases?

Shri Mehr Chand Khanna: I will tell you, Sir. What we did in the initial stages was, we had about 400 to 500 tenements, cheap tenements ready....

Mr. Speaker: In Lajpatnagar?

Shri Mehr Chand Khanna: In Lajpatnagar. I proposed that those tenements may be allotted to them. When I requested them to go there, they won't go. In the meanwhile—I do not

want to accuse anybody—unauthorised occupation of those quarters was done by other displaced persons.

Mr. Speaker: Also from Purana Quila?

Shri Mehr Chand Khanna: They were from the same area. When I wanted to evict them they went and sat outside the Prime Minister's residence. They would not leave that place and the inmates of Purana Quila could not come here. Then, whatever tenements were available, say, about 100 odd, were made available to them. There are some plots and those plots are today three or four times the previous value. I am allotting them plots, 100 sq. yard. each, at the reserve price which I believe is Rs. 10 or Rs. 11 per square yard. I have sold in that very colony at Rs. 30 or Rs. 40 a square yard. I am giving them at the reserve price. I think I am correct in saying that originally, some families had been allotted two tenements in Purana Quila on the strength of a family consisting of more than five members. I have also undertaken to give them 200 sq. yd. instead of 100 sq. yd.

But my position today is this. There is constant pressure upon me from all directions for honouring some of the old commitments. I am looking into hard and deserving cases. My resources are drying up. So, I told my friends in Purana Quila that if they still want plots, I shall try my level best to make these plots available to them. but tomorrow, if you come to me, I may have nothing to offer. This Purana Quila has got to be cleared. This matter has been before us for the last three or four years. I have done everything humanly possible to persuade my friends. But unfortunately for me, they have not been able to see eye to eye with me.

Mr. Speaker: But if plots are given the hon. Minister undertakes to build on those plots.

Shri Mehr Chand Khanna: I would not build. Under our cheap housing scheme, what we have done is, wherever we have given 100 sq. yds. we have given a grant of Rs. 500. A grant of Rs. 500 is given to non-claimants and we do not ask them to pay it back. When Rs. 500 are given to a claimant entitled to a claim, that has to be adjusted. On that matter, too, without committing myself, I am prepared to consider this: where if I make 100 sq. yd. available according to our conditions and rates and all that, and if a small grant is required in the case of those who are non-claimants, I can go to Finance and try and get the money; I can do nothing more.

My hon. friend has mentioned Tihar and Jhil Khuranja. There, I have settled about 10,000 families. I have given this facility of 100 sq. yds. plus Rs. 500. The moment I give my friends of Purana Qila a little more, there will be 10,000 people holding demonstrations and my friends, the M.Ps. in the South Avenue or the North Avenue will not be able to sleep for a good number of nights. I do not want to create another problem with a view to solve one problem.

Mr. Speaker: Have they to pay the price for the land?

Shri Mehr Chand Khanna: The price of the land is to be paid over an extensive period. There are certain instalments. I think they have to pay some ground rent or something like that. What has been done in the case of the 10,000 allottees in the other three colonies three, four or five years ago, I am prepared to give them the same facilities today, though in my view they have forfeited all the rights to any concessions.

Pandit Thakur Das Bhargava (Hissar): If I have understood the hon. Minister correctly, the hon. Minister says that he is prepared to give them plots plus Rs. 500 each for housing which will be recoverable from them in instalments.

Mr. Speaker: No. Rs. 500 free only to the claimants. But for others there is no claim.

Pandit Thakur Das Bhargava: Rs. 500 for non-claimants.

Mr. Speaker: It will be adjusted.

Pandit Thakur Das Bhargava: As a matter of fact, 100 sq. yd. plus Rs. 500 were given by the Ministry to all non-claimants also. All that we want is—

Mr. Speaker: It is true. The hon. Minister says that it will be given to the claimants also, but in the case of claimants, this Rs. 500 will be withheld or they are liable to repay.

Shri Mehr Chand Khanna: The position is this. When I gave Rs. 500 and 100 sq. yd. they were given to all the allottees in Ramesh Nagar, Jhil Khuranja and Tihar. But at that time there was no question of compensation scheme. Though Pandit Thakur Das Bhargava is not a displaced person, if he is entitled to claim compensation from me, that Rs. 500 I gave him four years ago will be adjusted against this. But if Pandit Thakur Das Bhargava has already taken his claim from me whether in cash or through property, he is not entitled to any other thing. That is what I say. He has already taken his compensation from me, I still say that if any one in Purana Qila has not been paid off the claim and claim is still due from me, I am prepared to give him the same treatment as has been given to his brother. But when he has received the claim, I cannot give him a multiple benefit.

Pandit Thakur Das Bhargava: I have not understood fully what the hon. Minister has said. What the Purana Qila people want is this. They are being given plots, and they are very thankful to the hon. Minister for his giving them plots though, according to him, they have forfeited all their rights. He has given them plots. We will accept that position. All that we want is, they should not be evicted.

[Pandit Thakur Das Bhargava]

from Purana Qila until they build their houses on the plots. The houses can only be built if the hon. Minister is pleased to give them at least Rs 500 per family.

Mr Speaker: This seems to be reasonable. Those people who do not have claims and who have not received anything, even if they have claims, they will be given Rs 500 if they ask for it.

Pandit Thakur Das Bhargava: Rs 500 plus a plot. It is exactly what they claim. I do not claim more for them.

Shri Mehr Chand Khanna: What the hon. Member is saying is something different from what the Speaker has understood and is trying to tell the hon. Member. The Speaker has understood me correctly.

Mr. Speaker: As I understand, for all persons who are refugees in Purana Qila, plots will be given, and that will be 100 sq yds each. In the case of those persons to whom two apartments or building units were given in Purana Qila, to them, if they want, two such plots will be given, that is, 200 sq yds. Thus, there will be a price, a moderate price, fixed, though today the market value of those plots has gone up threefold or fourfold. The Government will charge only a moderate price which they will have to pay, whether they have claims or no claims.

So far as the ground value is concerned, that has to be repaid by all persons without distinction over a period of instalments, spreading over a long period of time. So far as Rs 500 is concerned, for the purpose of enabling people, the refugees, to build up on the plots allotted to them, Rs 500 will be given free to all persons who do not have any claims and to those persons who have not received their amounts so far. If they have no claim, this Rs 500 would not be recovered or will not be claimed.

Shri Mehr Chand Khanna: That will be a grant.

Mr. Speaker: If they have claims, the claims have not been satisfied and compensation has not been paid. This amount of Rs 500 that has been given will be adjusted from the amount that has to be paid by way of claim. If, on the other hand, the claims have already been satisfied, they have taken them away, this Rs 500 would not be given to them. That is, he has put down three categories. Very well. Shri Vajpayee may proceed.

श्री वाजपेयी अध्यक्ष महोदय, पुराने किले के विस्थापितों के सम्बन्ध में आपने जो अपनी सहानुभूतिपूर्ण रुचि प्रदर्शित की है, उसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है कि उन्हें बसाने की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है और अगर मंत्री महोदय

Mr. Speaker: The only other thing that Pandit Thakur Das Bhargava has asked is this. I think they are taking expeditious methods and it will certainly take time to build there. Till that time, they will be permitted to continue there.

Shri Mehr Chand Khanna: For the last three or four years, we have been giving them extension after extension.

Mr Speaker: How long will it take to build?

Shri Mehr Chand Khanna: As far as I am personally concerned, I am no longer seized with the question of the eviction of those gentlemen from Purana Qila. I am only seized with the question of rehabilitation. About six months ago I issued a last official press note that I have nothing to do with them because the Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs—whatever it is—is seized with this problem now. But if any reasonable period is wanted, that would be the final period, say, six months.

Mr Speaker: It will be more than enough.

(Compensation and
Rehabilitation) Amendment
Bill

Shri Mehr Chand Khanna: I can persuade Shri Humayun Kabir and I can request him on behalf of these people and see that no action is taken before six months. But then that should be accepted as final. But that matter is not going to be final, I can assure you!

Mr. Speaker: We are now in May. We will assume that it will take up to the end of this year—six to eight months. Let there be a definite deadline.

Shri Mehr Chand Khanna: I said six months

Mr. Speaker: I am only extending it to two more months.

Shri Mehr Chand Khanna: I do not mind. Make it eight months

Mr. Speaker: Till the end of this calendar year. Till then those persons can come and see. They came to me and that is why I refer to it.

Shri Mehr Chand Khanna: I do not think there will be any difficulty. It should be all right as far as I can see.

श्री बाजपेयी मेरा निवेदन यह है कि पुराने किले में जो भी विस्थापित है, उनसे पहले माठ हजार रुपए कस्ट्रक्शन चार्जिज के रूप में वसूल किये जा चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि वह तो एडवांस रेंट था। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस तरह की नीति मंत्रालय ने क्यों बदली है और इसके पीछे आधार क्या है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है—वह दुस्त नहीं है।

श्री बाजपेयी : मेरी इन्फॉर्मेशन वही है, जो कि माननीय मंत्री के पूर्व मंत्री ने इस सदन में की है। मेरे पास इस धास्य के प्रश्न और उत्तर मौजूब हैं। अगर वह चाहें, तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूँ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : नहीं, माननीय सदस्य कहते हैं।

श्री बाजपेयी : तो माननीय मंत्री कैसे कह सकते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ और दुस्त कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय जो कुछ आप कहना चाहते हैं, वह रेप्लाय में बोल दीजिये।

श्री बाजपेयी, मैं आपका ध्यान स्टैंड ब्वेस्चन नम्बर ७५४ की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसका उत्तर १९५६ में दिया गया था। हमारे दोस्त श्री डी० सी० शर्मा ने एक प्रश्न किया था

श्री डी० सी० शर्मा दीवान चन्द शर्मा कह दें, डी० सी० शर्मा क्यों कहते हैं ?

श्री बाजपेयी जिस के उत्तर में श्री जे० के० भोसले ने कहा था

श्री मेहर चन्द खन्ना : पढ़िए, पढ़िए। मेरी जिम्मेदारी है १९५६ की।

श्री बाजपेयी : श्री जे० के० भोसले ने कहा—

“The amount collected is roughly about Rs 45,000 and that has been deducted in the rents which were due from these allottees.”

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय सदस्य अग्रणी में पढ़ रहे हैं। हिन्दुस्तानी में तर्जमा करें।

श्री बाजपेयी : इस के बाद श्री डी० सी० शर्मा ने एक सप्लीमेंट्री प्रश्न किया—

“Is it not a fact that the receipts which were given to these allottees said that the money was being realised towards construction charges?”

तो श्री भोसले ने उत्तर दिया—

“Yes, Sir; now that we have decided that Purana Qilla has to be vacated, there is no other alternative but to send these persons out.”

[श्री बाजपेयी]

इस प्रश्न और उत्तर से यह स्पष्ट है कि उनमें कंस्ट्रक्शन चार्जिज लिए गए।

श्री मेहर चन्द लखा : पढ़िए।

श्री बाजपेयी : जी हां, मैंने पढ़ा है।

इस के बाद १६ मार्च, १९५६ को श्री मेहर चन्द लखा से प्रश्न पूछा गया था जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि

"These amounts were recovered from these displaced persons as advance rent. The recoveries were credited to the appropriate heads of account."

13.33 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

पहले कंस्ट्रक्शन चार्जिज लिए गए और बाद में एडवांस रेंट लिया गया और जो एडवांस रेंट लिया गया, क्या वह बाद में निकाला गया ?

श्री मेहर चन्द लखा : एडवांस किया गया किराये में।

श्री बाजपेयी . उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख होता है कि सदन में ऐसी बातें कही जा रही हैं, जो तथ्यों से मेल नहीं खाती हैं और जो कुछ अभी तक इस सदन में उत्तर दिये गये हैं, उनके साथ भी उनकी संगति नहीं बैठती है। जब पुराने किले के बिल्वापितों ने उन दोनों आदेशों को मांगा जिनके अन्तर्गत बहा किराया पहले तो १२ रुपए तय किया गया था और बाद में घटा कर साढ़े चार रुपए कर दिया गया और उन्होंने पूछा कि किराया पहले बारह रुपए कैमे तय कर किया गया था और अब साढ़े चार रुपए कैमे कर दिया गया और जिन से बारह रुपए पहले लिए गये थे, क्या उनके हिसाब में साढ़े चार रुपए किराया जमा किया जायगा, तो उन को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार के जो

बिल्वापित हैं, जो अभी तक बसाए नहीं जा पा चुके हैं और जिन के दावे हैं, या जो और दावेदार हैं, मगर जो इस स्थिति में नहीं हैं कि वे अपने किराये पूरी तरह से भर सकें, प्रश्न यह है कि उनका क्या बनेगा यंत्री महोदय कहते हैं कि चीफ़ मैटलमेंट कमिश्नर हर एक मामले को देखेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन के पास इतना समय कहाँ है और ऐसे कितने मामले हैं, जिन के बारे में उन्हें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या मंत्रालय ने इस तरह का कोई प्रन्दाज लगाया है ? मन्त्रालय में काम जिस तरह में हो रहा है, मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ।

जगपुरा में १६ नम्बर की दुकान श्री कृष्णामल एलाटी को दी गयी थी और उन्होंने किराया भी दिया, लेकिन २४ फरवरी को अचानक उनको कहा गया कि आप दुकान खाली कर दीजिए और वह दुकान एक दूसरे व्यक्ति को एलाट कर दी गई। क्योंकि कौी गई ? क्या कारण था एलाट करने का ? आजकल तो एलाटमेंट बिल्कुल बन्द है और केवल स्पेशल केसिज में होती है। यह जो दूसरे महोदय थे, इनका ऐसा क्या स्पेशल केस था, जिस में एलाटमेंट किया गया ? और उनको दुकान दी गई, इनका ही नहीं, पुलिस को भेज कर, जो पुराने रहने वाले थे, जिन्होंने किराया दिया था, उन के बीबी बच्चों को निकाल कर उन दुकान का पोजेशन भी दिला दिया गया। मैं मानता हूँ कि बाद में मन्त्रालय के सेक्रेटरी महोदय ने इस प्रन्दाय को रोका और जिनकी दुकान थी, उनको वापस दिला दी। लेकिन इस के बीच में एक और मामला खड़ा हो गया। जब वह पुद्गार्थी बन्धु सटलमेंट कमिश्नर से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने धायद मिलने से इंकार किया और बहा कुछ बात बढ़ गई। पत्तार्थग स्वभाव बुलाया गया और जो मिलने के लिए गए थे, उनको मिलने के बजाये जाने में बिजबा दिया

गया और अब सैटलमेंट कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि वह उन पर मुकदमा चलाए। अगर वह मनीषुति है पुनर्वासि मंत्रालय के अधिकारियों की, जो कि इस मामले में दिखाई देती है, तो इस प्रकार का अधिकार कम से कम में उनके हाथ में रखने को तैयार नहीं हूँ। जो भी बिस्वापित है, वे हमारी सहानुभूति के पात्र हैं और मैं समझता हूँ कि पुनर्वासि मंत्री के अधिक इस बात को और कोई भी गम्भीरता से नहीं समझ सकता। लेकिन जो व्यवहार हो रहा है, जो आचरण हो रहा है जिस तरह के रवैये और रग-डंग दिखाई दे रहे हैं, उसमें इस प्रकार के कानून केवल बिस्वापितों में असन्तोष का निर्माण कर सकते हैं। वे अगर जलूस निकालते हैं, घरना देते हैं, तो खुशी के लिए नहीं देते हैं। किसी को वहाँ घुप में बैठना अच्छा नहीं लगता, जलूस निकालने में किसी को भ्रानन्द नहीं आता, लेकिन जब स्थिति ऐसी हो कि जो सहन न होनी हो और कोई सुनता नहीं है, तो उनके सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं रहता कि अपनी बात सरकार के कानों तक पहुँचाये और उनके लिए प्रदर्शन का मार्ग अपनाये। मैं समझता हूँ कि सरकार सदन के सामने ऐसे तथ्य रखने में असफल रही है, जिन के आधार पर इतना बड़ा अधिकार सरकार के हाथ में दिया जा सके। इसलिये मैं माग करता हूँ कि इस विधेयक को जनमत के लिये प्रचारित किया जाय और इस बात का पता लगाया जाय कि क्या वस्तुतः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और क्या सरकार के सामने इन के सिवा और कोई चारा नहीं है और इसलिये मैं अपना सशोधन सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूँ।

Shri Ajit Singh Sarhad (Ludhiana)
I am sorry I cannot congratulate the hon. Minister in bringing forward this Bill before the House. I can very well appreciate his difficulties and can well realise that he has got to realise the huge arrears of rents and other dues that have accumulated from the defaulting displaced persons. Still, I cannot find any justification for this

provision and I have three main objections to the provisions of this Bill

The amending Bill proposes that henceforward the defaulting displaced persons will be liable to arrest for non-payment of their dues to the Government or to the Custodian and the decision thereof shall lie in the hands of the Chief Settlement Commissioner, and the dues shall be realisable as land revenue. The three objections that I have are firstly that this would be a sort of discriminatory treatment and as such would impinge on the provisions of Article 14 of the Constitution inasmuch as not only would this place the displaced persons in a handicap and would be a sort of discrimination against them as compared to other debtors in contracts and agreements of a commercial nature, but this would also place them under undue hardship

The second objection is that it is most unjust, unfair and contrary to the implied commitment, which was given in 1954 that they would not be liable to arrest at all. The third objection is that this amendment is very inexpedient in the form it has been brought

Dealing with the first objection, I could have very well appreciated if the hon. Minister had brought forward a proposal that henceforward the DPs. will not be entitled to any concessions, and will be governed by the general provisions of the law, and will be liable to arrest or any other penalties that are contained in the law of the land in relation to certain contracts, agreements, debts and all that. If the proposal had been brought forward in that form, I could have very well understood the justification for this. He could have said that he feels that henceforth the DPs. are not entitled to any concession, they have already become part of the normal economy of the country and they should be treated as other debtors, whether of individual or of Government. But to put them under a handicap and to bring a proposal of this nature whereby even the ordinary debt of a dis-

[Shri Ajit Singh Sarhadi]

placed person to the Government or Custodian would assume the status of land revenue or taxation, that is most unfair. It is putting a handicap or hardship on them.

By this provision you are authorising the Chief Settlement Commissioner to come to a decision as to how a certain amount due to the Custodian or Government should be realised. Here I am referring to relevant Clause in the Bill. The moment he comes to the conclusion that it should be realised as a land revenue, you write to the Collector to realise it as land revenue, or put the debtor in jail. I do not think that a contract of the D.P. with the Government or with the Custodian has got a better status, or a higher position, than that of an individual with another individual or with Government on a monetary transaction.

Shri Mehr Chand Khanna: On a point of information. May I know from the hon. Member whether his intention is that the discretion of the Chief Settlement Commissioner should be limited and the defaulters should be treated according to the normal law of the land and arrested? Is that your intention?

Shri Ajit Singh Sarhadi: The submission which I was making, Mr. Deputy-Speaker, is this. I could have very well appreciated it if the proposed amendment had been in the form that the debt due from a D.P. to the State, or to the Custodian, would be no better than that of any other individual and it would be governed by the ordinary law of the land. Then the provisions of the C. P. C. would apply. If the provisions of the C.P.C. postulate or allow arrest for non-payment of dues, certainly it can be done. I can very well understand it. But what will be the position under the proposed amendment? The position under the amendment is this: the debts due from a D.P. to the Government or the Custodian are going to be realised as

land revenue and he is going to be arrested for default, if the Chief Settlement Commissioner comes to the conclusion that it is necessary to do so. I would submit that this is discrimination against them and you are denying equality of law to the D.Ps. in that sense. I would beg of the hon. Minister to consider this aspect of the case.

The question is this. Are you not creating a special class of D.Ps. who are certainly defaulters having a special law for them wherein you have provided that they would be liable to arrest for non-payment of debts that are due from them to the Government or Custodian? If it is a special legislation, then it infringes article 14 inasmuch as it is discriminatory

Now if a person borrows from the Government, or from Industrial Finance Corporation, he has to pay back to the Government or Industrial Finance Corporation principal and interest and that amount has to be realised. There the Government shall have to proceed in the ordinary courts of law. They shall move a court of law, and file a suit against him and get a decree. That is the law which is prevalent for general debts pertaining to the monetary transactions, whether loans or otherwise. But here you are trying to bring in a special legislation for the D.Ps. to realise certain amounts due from them, or which would fall due hereinafter, by a special kind of procedure, that is treating them as land revenue. But debts are not taxes. The debt is the result of a commercial transaction, contract or agreement, implicit or explicit. So the first objection, and the main objection, that I would put for the consideration of the hon. Members of this House is that this would be very much discriminatory and most unfair. I wish the hon. Minister had considered this before he brought it. I am sure he does not want to give a parting kick to the D.Ps. by this measure after having given them kisses

(Compensation and
Rehabilitation) Amendment
Bill

all these years. Though there may be difference of opinion whether they were kisses or not, this would certainly be a kick and so he should consider twice before he comes forward with his proposal.

My second objection is that it is most unjust and unfair and it is contrary to the implied commitment that has been given in 1954. This Bill is for amending the provisions of the 1954 Act. That Act of 1954, you will recollect, definitely postulated that no D.P. would be liable to arrest for amounts due to the Government or to the Custodian. There was no suggestion then that it will be reconsidered. I concede that huge amounts have accumulated. My hon. friend, Shri Vajpayee, does not know the figures. The figures have not been given. The amount realisable from the D.Ps. runs to crores and crores of rupees. I am sorry that such a large sum is due from them. But, whose fault is this? I beg of the House to consider that. Why have these amounts been allowed to accumulate? The Rehabilitation Ministry had the machinery to realise this. Except the provision about arrest, from which there was exemption, the rest of the provisions, attachment and all that, were there. Is it not a reflection on the efficiency of the Rehabilitation Ministry that such a huge amount should have been allowed to accumulate? Now the Ministry comes forward with an amendment saying that they should have strong powers in their hands to arrest people. Is it fair to have such a provision? Because of the inefficiency of the Ministry large arrears have accumulated. Now they want to send people to jail for default in payment.

Mr. Deputy-Speaker: If the hon. Member says that they have been receiving kisses from the hon. Minister how can he realise these arrears?

Shri Ajit Singh Sarhadi: I would certainly concede that the hon. Minister has tried to do as much as possible in the circumstances. But I

would certainly say that day in and day out the hon. Minister told us that so much has been spent from the general revenues for the D.Ps. so much from the evacuee pool and so much from the general fund.

Here I would submit that I have always been pleading in this House that the entire responsibility for full compensation to the D.Ps. is on the Government of India. These people have been displaced because of no fault of their own. My hon. friend, in his speech at the time of reply, said that India is the only country which has compensated the refugees. I join issue with him. I ask him to see the history of refugees in other countries and see how full compensation has been given by taking all sorts of measures.

Shri Mehr Chand Khanna: Will he cite an instance?

Shri Ajit Singh Sarhadi: I forget just now, but there are certain instances. So, I submit that we should not day in and day out tell that Rs. 45 crores or Rs. 50 crores have been spent from the general revenues. This was certainly the liability of the Government of India which they had tried to discharge. And I wish they had given the full amount of compensation to the persons who have suffered by partition.

Coming to the point I was discussing, there was an implied commitment at the time of the passing of the Act that there will be no arrests. What then has transpired in between these years which justifies the bringing in of this amendment?

Shri Mehr Chand Khanna: There was a positive provision. Why are you talking of the implied commitment?

Mr. Deputy-Speaker: I would request both the hon. Members to address the Chair.

Shri Ajit Singh Sarhadi: There was certainly a positive provision.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member addresses the Minister and so he also addresses the hon. Member.

Shri Ajit Singh Sarhadi: I am addressing the Minister through you.

Mr. Deputy-Speaker: I am by-passed. I see that.

Shri C. K. Bhattacharyya: Sir, you address more the hon. Member to your right than the hon. Member in front of you.

Shri Ajit Singh Sarhadi: There is a positive provision to the extent that the D.Ps. are not liable to arrest. I submit that this positive provision contains an implied commitment that there will be no change in it. What circumstances have arisen in between to necessitate the bringing of this proposal? The only circumstance that we have been told by the hon. Minister is that there is accumulation of arrears, that they have been given large concessions and all that. Of course, concessions have been given to the displaced persons but if the arrears have accumulated it is due to the fault of the Ministry. Why have the arrears accumulated?

My third objection is—I would not take a long time of the House—that this provision is most arbitrary. Now you are not realising this. The hon. Minister was pleased to say in a very appreciative way that the highest officers of the Rehabilitation Ministry have been authorised to come to the conclusion whether he should not be given an exemption. So far so good. But how does the machinery act? I also consider that the individual concerned has been given the right of audience, the right of hearing and all that. That is there. But the moment the order is finally passed that is the end of it. There is no right of appeal. There is no right of revision. Section 24 of the Act does not give the right of revision. This is the final authority. Is it fair, is it expedient to vest an individual, howsoever highly placed he may be, with such arbitrary powers which are not appealable? The only provision that I find in the

Act is section 33 under which hundreds of applications are lying without being heard and being disposed of summarily without the knowledge of the individual concerned. Therefore my submission before the House is that vesting such arbitrary powers in one individual is not desirable. The individual may not be in a position to place all the facts before the Chief Settlement Commissioner. I would submit that vesting such arbitrary powers in the Chief Commissioner, however high the office he may hold, is very arbitrary. This should not be done. The right of appeal should be there.

My last submission for the consideration of the House is that on the speech which the hon. Minister has given before the House, I do not think he has made out a case that there is any justification for bringing forward this Bill. I do hope that he will reconsider his decision and withdraw the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: Pandit Thakur Das Bhargava. The time allotted is one hour and thirty minutes but I find that there are many hon. Members wishing to speak.

Pandit Thakur Das Bhargava: The Chair has discretion to extend it by one hour. This is one of the Bills in which many, very complicated questions arise.

Mr. Deputy-Speaker: Panditji must have been here when the Report of the Business Advisory Committee was adopted and must have been there also in the Business Advisory Committee.

Pandit Thakur Das Bhargava: I was not present at the meeting of the Business Advisory Committee. Unfortunately, at that time I was here in the Chair. Anyhow, even without that....

Mr. Deputy-Speaker: After he has finished his speech, I will request him to occupy the Chair. Then he can do anything he likes.

Shri Panigrahi (Puri): The hon. Minister may reply on Monday.

Pandit Thakur Das Bhargava: When I am in the Chair I shall be exercising the discretion which you are expected to do in this case. This discretion is always there in spite of the Business Advisory Committee report and its adoption by the House and independence of it.

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिल यहाँ रखा गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक छोटा सा बिल है, एक दो क्लॉज का बिल है, लेकिन यह निहायत ही कम्प्लीकेटेड है और बहुत ही मुश्किल बिल है। जब १९५४ में हमने सेशन ३० को पास किया था उस वक्त मंत्री मंत्रसं को मालूम था कि ऐसे बहुत से केसिस होंगे, जिनमें लोग रुपया नहीं दे सकेंगे। लेकिन यह एक स्वामि किस्म का लैजिस्लेशन है और मुझे पता नहीं है कि इसके खिलाफ प्रॉटिकल १४ प्राफ दी कांस्टीट्यूशन की शरण ली जा सकती है या नहीं। सरहवी साहब ने कहा है कि ली जा सकती है लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना ही अर्थ कर सकता हूँ कि सब को मालूम था कि जरूर ऐसे वाकता हो सकते हैं कितनी भी कोई खराबी करे, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब मन् १९५४ में सिलेक्ट कमेटी बँठी थी, उस वक्त मैं उसका चेयरमैन था। हमारी यह युनैनिमस प्रॉपोजल थी और हाउस में भी किसी ने उस पर कोई एम्बेडमेंट नहीं रखा, किसी ने झगड़ा नहीं किया और धानरेबल मिनिस्टर साहब ने भी कोई आपत्ति नहीं की, सभी ने मिल कर पास किया। लेकिन आज हमारे धानरेबल मिनिस्टर साहब यह समझते हैं कि उसमें तबदीली किये जाने की आवश्यकता है। इसके बारे में उन्होंने जो तफरीर की है, उसको मैंने बड़े गौर के साथ सुना है और साथ ही सरहवी साहब ने जो बातें कही हैं उनको भी सुना है।

मुझे खरा भी तामुस नहीं है कि धानरेबल मिनिस्टर साहब की भी बहुत सी मजबूरियाँ

हैं और मैं उनको रियासाइब करता हूँ। मिनिस्टर साहब ने अपनी तफरीर में शुरू में ही कहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ इस लैजिस्लेशन को लेकर। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी इयूटी डी० पी० और टेक्सपेयर्स दोनों की तरफ है। चूँकि मैंने टेक्सपेयर्स का भी स्थाल रचना है इसलिये मैं इस बिल को लाने पर मजबूर हुआ हूँ। मैं उनकी इस बात को एंजॉय करता हूँ।

जनाबेवाला, मैं समझता हूँ कि अगर कोई मिनिस्ट्री ऐसी है जिसके इयूस भ्रदा किये जाने चाहिये, बाजिब इयूस की भ्रदायगी की जानी चाहिये, उनकी पेन्ट करने में कोई हुज्जत नहीं होनी चाहिये, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये वह यही है। यही एक मिनिस्ट्री है जो कि राष्ट्र निर्माण के कितने ही कार्यों को करती है। बाकी की मिनिस्ट्रीज एक एक या दो दो काम करती हैं, लेकिन यह मिनिस्ट्री सभी काम करती है। इस चीज को मैं इस हाउस में कई बार कह चुका हूँ कि यह गवर्नमेंट मशीनरी का एक डिवाइड पार्ट है। भूखे को रोटी देना इसका काम है, बगैर काम के व्यक्ति को काम देना इसका कर्तव्य है, किसी को टी० बी० हो जाती है, उसको अस्पताल में दाखिल करवाना इसका काम है, दवाई का बन्दोबस्त करना इसका काम है, किसी के पाम मकान नहीं है तो मकान देना इसका काम है, डोलज देना इसका काम है। इन सब कामों को करने के लिये जैसा कि हम जानते हैं तीन अरब रुपये से ज्यादा खर्च किये जा चुके हैं। मैं इस हाउस में इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि दुनिया में कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसने इतना धानदार इस बारे में काम किया हो जितना धानदार इस सरकार ने किया है। इसके लिये इस सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए थोड़ी है। इस सब के लिये मैं इसका मशकूर हूँ।

आज यह कहना कि गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी थी इनको पूरा क संस्थान देना, घासान है। मैं सरहवी साहब से पूछना चाहता

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हूँ कि क्या वह पिछले दस बारह सालों की हिस्ट्री को भूल गये हैं कि किस तरह से यहाँ पर झगड़े हुए हैं। आज यह कहना आसान है कि पाटिधान गवर्नमेंट की बजह से हुआ। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी तरफ से ही, एक रेजोल्यूशन आया था आठ आने के बास्ते लेकिन उसको किस ने एक्सेप्ट किया? मैंने उस वक्त कहा था कि आप आठ आना क्यों मांगते हैं, शायद सरकार ज्यादा दे दे। सौ करोड़ रुपया पाकिस्तान देने के लिये तैयार था और हो सकता है उस वक्त सरकार दो सौ करोड़ रुपया देने के लिये भी राजी हो जाती। लेकिन आज सरकार अपनी तरफ से तीन सौ करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। तो सरकार ने कभी भी फुल कम्पेंसेशन देने की बात को मंजूर नहीं किया है। एक बार एक मिनिस्टर साहब ने तो इस्तीफा दे देने तक की धमकी दे दी थी उस कम्पेंसेशन के लिये जो आज हम को मिलता है। लेकिन इस सब झगड़े में मैं आज जाना नहीं चाहता हूँ। आज बारह बरस के बाद सरकार से कहना कि वह फुल कम्पेंसेशन दे, बहुत ही विलेटिड है। मैं तो यहाँ तक कहना हूँ कि अगर सरकार लेवी लगा कर सारे हिन्दुस्तान पर, फुल कम्पेंसेशन देती तो सरकार का तो कुछ न बिगड़ता लेकिन लोगों में सैटिसफैक्शन ज्यादा होता।

लेकिन इस सब को छोड़ कर जो तजवीज हमारे सामने है, उस पर मैं आता हूँ। इस तजवीज को जब मैं देखता हूँ तो मुझे यह कहने में खरा भी सकोच नहीं होता कि काफी कोशिश मिनिस्टर साहब ने इन लोगों को खुशहाल करने की की है और इतनी कोशिश करने के बाद भी अगर ये लोग रुपया नहीं देते हैं और दे सकते हैं, तो उनसे बसूल किया ही जाना चाहिये। सरकार का टैक्स या और कोई ड्यू अगर कोई शक्स भ्रदा नहीं करता है तो मेरी नजरों में वह आनेस्ट सिटिजन नहीं है। जहाँ तक इस मिनिस्ट्री का टाल्युक है यह ड्यू डबली सेक्रेड है कि

इसके जो ड्यूज हैं वे भ्रदा किये जायें क्योंकि अगर वे भ्रदा करेंगे तो वह रुपया फिर उन्ही पर खर्च होगा, फिर डी० पी० पर खर्च होगा, और उन्ही को वह वापिस चला जायेगा। इस बास्ते यह उनकी डबली सेक्रेड ड्यूटी है कि वे इस रुपये को भ्रदा करें। आज यहाँ से मैं हर एक डी० पी० को भ्रवील करना चाहता हूँ कि अगर कोई वाजिब रुपया इन मिनिस्ट्री का निकलता है, दुस्त तौर पर निकलता है, तो उसे उस रुपये को भ्रदा करने में खरा भी ताम्मुल नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके, उसको भ्रदा कर देना चाहिए। अगर वे धरायत जो आनरेबल मिनिस्टर साहब ने बयान की है, दुस्त है, तो बाबजूद इसके कि हमारा जनरल ला आफ दी नैड कुछ भी हो, जनरल डेट एनजस्टमेंट एक्ट के बिवाफ हो, क्योंकि दफा ३० उस एक्ट में भी जिस में कहा गया है कि कर्जा चाहे जितना सेक्रेड क्यों न हो, किसी को कैद नहीं किया जाये, लेकिन रुपया बसूल होना ही चाहिए। यद्यपि यह ड्यू उस एक्ट का मामला नहीं है। यह डिमन्स्ट्रेड परसज का मामला है। यह मामूली इकूमत का और एक सिटिजन का मामला नहीं है।

14 hrs.

जनाबेवाला, जितने ला हम ने पास किये हैं, उनके अन्दर हम ने खास तौर पर कोर्ट्स को दूर रखा है। सभी डी० पी० के लाज के अन्दर इन्हीं को हम ने हाकिम बनाया है क्योंकि इन पर बड़ी भारी जिम्मेवारी है। डी० पी० इनके बन्कों में बराबर हैं और मैं महसूस करता हूँ कि कभी कभी बन्के दाड़ी भी खींच लेते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं, लेकिन आपको बुरा न मानना चाहिये। यही बात मैं ने गाडगील साहब को सन् १९५१ में कही थी। मैंने उनसे कहा था कि जो भी इस कुर्सी पर बैठता है उसकी किस्मत में गालियाँ खाना ही लिखा होता है। बिन लोगों के साथ आप डीज करते हैं, उनके कसूरों

को आप भूल जायें। आप यही उम्मीद रखें कि लोग आपकी गालियां ही देंगे। जो भी आपकी नेक काम करता है, उसको गालियां ही मिलती हैं। इसी वास्ते सोलोमन ने कहा नेकी कर और क्रुप में डाल। इस वास्ते जब गाबगील साहब ने १९५१ में यह कहा था कि लोग यों कहते हैं और यों कहते हैं, उस वक्त जो मैंने उनसे कहा था उसी को आज रिपीट करता हूँ कि आप अपनी आबलियोगेंस को पूरा करें और गालियों की परवाह न करें। गालियां तो पड़ती ही रहेंगी।

तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम ने शक्तिम इन्हीं को बनाया और अपनी सारी किस्मत इन्हीं के हाथ में सौंप दी, जो चाहें ये करें। जितना किस्म के जिम्मे पैसा निकलता है इसका फंसला कोई कोर्ट नहीं इन्हीं को करना है। आप ही कलैक्टर हैं, आप ही टेक्स लगाने वाले हैं, आप ही इयू तय करने वाले हैं, आप ही डेमेंडर तय करने वाले हैं, ये सभी प्रत्यक्ष आपके पास हैं। एक दफा की बात है कि मिनिस्ट्री ने एक दिन सब लोगों की बैंक पर किरायों को दुगुना कर दिया। हम हाउस में घाये और सखा साहब ने इसकी शिकायत की की और पूछा कि क्या मामला है तो इन्होंने मेहरबानी करके कह दिया कि बे बबल नहीं होंगे। यह उन्होंने भ्रच्छा किया, अगर न किया होता तो आज उस पैसे को एरियस की शकल में बसूल किया जाता। बहुत सी चीजें हैं, जिन का मैं जिक्र करूंगा। बहुत से साज हमने ऐसे बनाये कि जिन के अन्दर डी० पीस० के यहां मां बाप बनाये गये। पैसा काट लें या न काट लें, यह सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। अब यह लोगों को कंद कर दें, इससे भी मैं दूर नहीं भागता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रत्यक्ष दिये जा रहे हैं, उस तरह से लोग कंद नहीं होने चाहियें। इसके अन्दर प्राबिन्डन रखा गया है कि अगर सैटलमेंट आफिसर ऐसा फैसला कर दे कि फलां को खंड कर लिया जाये तो उसकी धपील

मिनिस्टर साहब के पास नहीं हो सकेगी या और किसी के पास नहीं हो सकेगी। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के केसिस की धपील खुद मिनिस्टर साहब के पास हो सके, ऐसा प्राबिन्डन इसमें कर दिया जाये। इस तरह का सेफगार्ड इसमें रखना बहुत जरूरी है। मैं यह क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह भी बयान करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं मिनिस्ट्री के दफतर के वकिंग से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि जो मैनेजरी साहब हैं, धर्म वीर, वह बहुत भ्रच्छे आदमी हैं, बहुत हमदर्दी से पैसा आते हैं। मैंने यह भी देखा है कि जिन के केस दस दस बार रिजंड हो चुके थे, उन के केसिस में सखा साहब ने जब कहा जाये कि कुछ कर लो, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं तो बाद में कुछ न कुछ बन ही गया। ऐसे ऐसे केसिस में जहां गालियां दी गई और बुरा बना कहा गया, उन में भी होटल में लोगों को मकान दे दिये गये, जमीनें दे दी गई। ये सब प्रत्यक्ष आपके पास हैं। आप आज इन लोगों पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन लोग जब खत लिखते हैं आपके महकमे को, तो उनको जवाब नहीं मिलता है। मुझे तो मिनिस्टर साहब की मार्फत जवाब मिल जाता है, न कि लोगो को नहीं मिलता है। इस प्र्यूरोकेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से लोग सैटिसफाइड नहीं हैं। मेरे पास लोगों के कितने ही खत पहुंचे हैं, जिनमें कहा गया है कि उनको जवाब नहीं मिलता है। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि चूंकि यह सैटलमेंट की लिबर्टी का सवाल है, डी० पीस० की लिबर्टी का सवाल है, इसलिए इसमें यह प्रोवाइड कर दिया जाये कि धपील मिनिस्टर साहब के पास हो सकती है, तो भ्रच्छा रहेगा।

आप इस कानून में सैटलमेंट आफिसर साहब को प्रत्यक्ष देने जा रहे हैं। परसबली किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चूंकि सैटलमेंट आफिसर इत्यादि को मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं उनके हाथ

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इतने खुले नहीं रखना चाहता हूँ जितने खुले कि इसके अन्दर रहे गये हैं। इसमें कहा गया है

“...is refusing or neglecting to, has refused or neglected to pay....”.

इसका मतलब साफ है कि ही हूँ नाट पेड। निगलेक्टिड टू वे का मतलब है नाट पेड। यह बात कहने का यूकेमिटिस्क ब है। अब जिस ने धदा नहीं किया है, उसका केस जायेगा। क्या ग्राउंड्स देली जायेंगी, इसके बारे में कहा गया है :—

“.... by order, in writing stating the grounds therefor....”.

तो इस तरह की मैं अर्केट पावर किसी शख्स को देने के लिए तैयार नहीं हूँ, जहाँ तक डिस्पेन्ड पर्सन्स की पर्सनल लिबर्टी का सवाल है। आप साफ लिख दीजिये, प्रप्रील प्रोवाइड कीजिये और वहाँ लिखिये कि अगर उम में नानएबिलिटी टू पे है तो उसे जेल में नहीं भेजा जायेगा। हमारे सन्ना साहब ने भी ऐसा ही फरमाया था, मैं उन को उन के ही अल्फोब पर पिन करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया था कि अगर कोई शख्स नहीं दे सकता तो हम उसे कैद नहीं करेंगे, और यह ठीक भी है। मैं सारी दुनियां के लाज को लाया हूँ दिखाने के लिए कि अगर कोई प्राइमी देने के काबिल नहीं है तो कहीं पर भी उसे कैद नहीं किया जाता। सन् १९०८ में यह ला हमारे देश में प्रमेंड हो गया और यह तय किया गया कि अगर कोई जजमेंट डेटर है और वह दे नहीं सकता तो उस के खिलाफ वॉरेंट बतौर हक के जारी नहीं किया जायेगा। आज कोर्ट्स को डिस्पेन्ड है कि वह किसी को कैद में भेजें या न भेजें। किसी को भी इस के बारे में कोई राइट नहीं है। तो ला तो यह है। जनाब बुलाहवा फरमायेंगे ग्राउंड नं० २१, इस ३७ से ४० को। इस में वह दो तीन बातें कर सकते हैं। अगर चाहें तो कैदखाने भेज दें, बरना नहीं। यह हुई एक चीज। इसी तरह

से इस में लिखा है कि उस में कंट्रिब्यूशन न हो। ही हूँ नाट एबिलिटी टू पे लेकिन उस का कंक्ट कंट्रिब्यूशन है या negatively उस के पास रुपया है नहीं और वह न देने के काबिल है उस को कैद नहीं किया जा सकता क्योंकि वह रुपया नहीं दे सकता। किसी गवर्नमेंट को बाजब रुपया न देना ठीक बात नहीं है। सरकार का टैक्स धदा करना हमारा पहला फर्ज है, खुसूसन इस मिनिस्ट्री का रुपया जो कि बी० पी० के फायदे के लिये काम कर रही है। नो अगर उस में एबिलिटी है तो उस के लिए मैं ने तरफीय में लिखा है :

“If he thinks that the person defaulting is able to pay the amount and is contumaciously neglecting or refusing to pay while the Rehabilitation Ministry has discharged its obligations towards his as required by law, rules and assurances given by the Government.”

यह दूसरी चीज है जिस की तरफ मैं आप की तरफ़ जह दिलाता चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रमेंडमेंट तो आप का बहुत लेट आया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह तो कल तक चलेगा। फिर मैं उन के खिलाफ तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। उन्होंने भी फरमाया है कि अगर किसी केस में कंट्रिब्यूशन डिनायल हो तो उम को जेल भेजा जाय। इस में मैं कोई प्रलग चीज तो लिख नहीं रहा हूँ। मैं भी यह चाहता हूँ कि if a person comes to seek enquiry before you, he must come with clean hands. वह पहले अपना फर्ज धदा कर दे तब दूसरे से कन्ने कि तुम अपना फर्ज धदा करो। और उस के अगर कोई अप्रिपेन्शन नहीं है तो जो

ऐश्वोरेन्सेज हर् ला की रू से, जो कि खुद मिनिस्ट्री के जिम्मे हैं और उस वक्त उन को डिस्चार्ज नहीं किया गया, तो प्राइमरी हल आफ ईक्विटी से उस को कोई हक नहीं है कि किमी हक को मारे, किमी को परमनल लिबर्टी को कम करे। प्राइमरी आवमी बेचारे क्या करे? क्या प्राप के ऐश्वोरेन्सेज को एक पैसे का साहद ले कर चाटें जिन के लिए हाई कोर्ट सब लिख दिया कि नै सिविल राइट के बेसिस नहीं हैं। यह ऐश्वोरेन्स हाउस में दिये गये, जनाब की रिपोर्ट से, अजिन प्रसाद जैन साहब, अम्बेडकर साहब, गाडगिल साहब, खन्ना साहब और १५, २० और लोगो की रिपोर्ट से सारी गवर्नमेंट की रू से, प्राइम मिनिस्टर, सरदार पटेल, सारी गवर्नमेंट, सारी कैबिनेट की रू से जितने ऐश्वोरेन्स दिये गये उन के लिए हाई कोर्ट में लिख दिया :

“do not furnish good basis for civil right”

प्राज इम हाउस में मुझे खुशी है कि मानरेबल मिनिस्टर साहब ने अपनी पोजीशन को बाजेह फरमाया। मैंने पहले अर्ज किया था कि मुझे कोई शुबहा नहीं है, और मैं अर्ज करने को तैयार नहीं हूँ, कि खन्ना साहब अपने कर्ज को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने फाइनेन्स बिल के वक्त तकरीर की थी कि दरअसल मैं खन्ना साहब से मिला, उन्होंने मेहरबानी फरमा कर कहा कि मैं कलचरल अफेयर्स और दूसरी जो मिनिस्ट्री है जिन को यह सीपा गया है, उन से वापस लेने के लिए तैयार हूँ, उस में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रूपया हम नहीं देंगे। हम कहा से उसे लायेंगे। हमारी पालिसी नहीं है मकान बनाने की। प्राज धुक् है कि उन्होंने उस के बारे में थोड़ी सी तरमीन फरमाई। मैं उस से खुश हूँ। मेरा तो बहुत सिम्पल सा मामला है। जब तक प्राप के प्राभिमोशन्स पूरे न हों तब तक प्राप किसी को कैद न करावें। इस बास्ते में अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या हमारे राइट्स में और क्या उन्होंने

राइट्स रखे। इस में कोई शक नहीं है कि उन को भवबूरियां हैं। जगपुरे में जमीन न मिले तो क्या दें? लेकिन जगपुरा की जमीन ही तो कोई प्राखिरो जमीन नहीं है, दे सकी तो दे। हालाकि जो ऐश्वोरेन्सेज दिये हुए हैं उन के अन्दर यह निशा है, मैंने कोई नई चीज नहीं रखी है, उन्होंने ही यह लिखा है

(3) “Subject to the provisions of Clauses (d) and (e), alternative accommodation is provided on developed land and, as far as practicable, near the place of business or employment of the displaced person;”

जब से सन् १९४८ से पुराने किले के रिपब्लिकन वहा जा कर बसे तो मुझे यह मानूम कर के खुशी हुई कि खुद पंडित नेहरू वहा सशरीक ले गये और वहा जा कर उन को बसाया। पहले मुझे यह मानूम नहीं था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की यह खास देन है। जनाब बाला को याद होगा, लेकिन मैं थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री की याद दिलाना चाहता हूँ। जिस वक्त सन् १९४८ में मल्ट बरिशा हुई तो जो हमारे राष्ट्रपति का लाज है उस में ले जा कर शरबाधियों को बसाया गया, जितने पब्लिक स्कूल्स हैं उन में उन को जा कर बसाया गया और उन के लिये बिल्डिंग का इन्तजाम किया गया। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का हुजूम था कि ब्रेस्टर मल्ट भी गिबन। हर एक को सिर छिपाने के लिए जगह मिले और लोगो ने प्रा कर वहां अपना सिर छुपाया। उस वक्त पंडित नेहरू ने हुकम दिया कि हम अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन बगैर दिये किसी जगह से, किमी स्कूल्स से, किसी अस्पताल में किसी को नहीं निकालेंगे। चुनावे में लोग मन्दिरो और मस्जिदों में पड़े हुए थे। लेकिन भिदरों और मस्जिदों का एड्रिज करके हुए पंडित नेहरू ने उन को खाली कराने का सोचा। उस वक्त जब यह तय हुआ तब हजारों लोगों के लिये मकान बनाने में १९ महीनों तक बह बिल पड़ा रहा। बाद में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सेलेक्ट कमेटी में अल्टर्नेटिव ऐकॉमोडेशन के बारे में जो तय हुआ वह मैं श्री खन्ना साहब की खिदमत में पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। यह तय हुआ था

"alternative accommodation" shall mean—

- (i) either a building or a part of a building; or
- (ii) a plot of land with a reasonable grant for the construction of a building thereon."

मैं इन अल्फाज पर ख़ाम जोर देना चाहता हूँ

"or a plot of land with a reasonable grant for the construction of a building thereon."

Note: (1) In providing alternative accommodation under item (i) regard will be had to the number of persons in the family of the evicted person and the accommodation in the construction demolished.

(2) In providing alternative accommodation under item (ii) reasonable time will be given to the evicted person to construct the building and he shall not be evicted until the expiry of such time;

(6) for the removal of doubts, it may be stated—

(a) that alternative accommodation shall be provided against payment of such sum and in such instalments as may be fixed in this behalf by the Central Government in the Ministry of Rehabilitation, and in particular—

- (i) where alternative accommodation is a building to be let out, rent will be payable by the occupant."

मेरी गुजारिश यह है कि हम ने यह इकरार किया हर एक डी० पी० से कि तुम को अल्टर्ने-

टिव ऐकॉमोडेशन दी जायगी और तुम को किसी जगह से नहीं निकाला जायगा जब तक तुम को सिर छिपाने के लिए बिल्डिंग न दी जाय। जनाब के कुर्सी पर तशरीफ़ लाने से पहले श्री खन्ना ने उन का ख़िफ़त करते हुए यह फ़रमाया था कि हम प्लाट देने को तैयार हैं और यह प्लाट उसी कीमत पर देने को तैयार है जिस पर अब तक लोगों को हम ने दिया। मुझे शुबहा नहीं है कि वह प्लाट देंगे। उन का यह कहना अम्बल दर्जे की नेकनियती पर मबनी है। मैं जानता हूँ कि वह प्लाट्स जिस कीमत पर दिये जायेंगे वह उम से कहीं ज्यादा कीमत के हैं। इस हद्द तक वह हम को पूरी रियायत दे रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि फर्ज कीजिये मैं उन रिफ्यूजियों में से एक होता तो क्या आप मुझे निकाल देते? मैं एक छोटा सा क्लर्क हूँ, वहाँ से निकल कर मैं कहा जाऊँ? किम स्ट्रीट में आप मुझे डालेंगे? आप मुझ को छू या घाठ महीने की मियाद देते हैं, मैं इस के लिए आप का मश्कूर हूँ, लेकिन इस छः या आठ महीने में आप एक कोठा बना दे, या मुझे इस काबिल कर दें कि मैं एक कोठा अपने लिये बना लूँ। आप का जिम्मा है कि जब तक हमारा चार्ज आप के पास है, आप हमें बनायें। प्राज कारपोरेशन हर एक मक़ासा पास करने के लिए ३०० ६० मांगता है। आबिदर डी० पी० कहा से ला कर यह रुपये देंगे। यह कितनी निकम्मी बात है? प्राज इस के लिए भी आप जिम्मेदार हैं कि आप कारपोरेशन से कहें कि हम से वह ३०० ६० क्यों लेता है हर एक मक़ान के नक़्शे पर?

श्री नेहरु कब खन्ना : आप हमारी तरफ़ इशारा कर रहे हैं। कारपोरेशन वाले भिन्न तो उधर बैठे हैं। उधर देखिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कौन बैठा है कारपोरेशन वाला ?

उपाध्यक्ष श्रीधर : बाधपेयी साहब

पंडित ठाकुर दास जर्मन : कारपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत है। यह गवर्नमेंट ही उस के सिर पर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह आप के मातहत या कि हमारे वाजपेयी साहब के मातहत ? मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो ३०० ६० हम से लिया जाता है वह नाजायज है। डी० पी० मकान का नक्शा पास करवाने के लिए कारपोरेशन को ३०० ६० वें और उस के बाद इस मामले को स्मूथ करवाने के वास्ते जो रुपया खर्च करें वह भ्रमल। मैं इस का भिन्न नहीं करता।

मैं भ्रमल के साथ भ्रमल करूंगा और मेरी उनसे दरख्वास्त यह है कि जैसा मैं ने अभी पढ़ कर मुनाया है डी० पी० को बसाने और उनके वास्तु रिहायश का इन्जाम करना यह आपका जिम्मा है और इस ५०० रुपये के देने में उनका काम चलने वाला नहीं है। जो रुपया कई सालों से इंस्टालमेंट की सूरत में हम ने वसूल होगा उसे हम देने को तैयार हैं। हम उस रकम को खुशी के साथ जो भी आप इंस्टालमेंट उसके लिए क्रिय करके उसे हम देने को तैयार हैं। अब कालका जो मैं ५०० रुपये में आपकी मिनिसट्री ने एक कोठे वाले टेनामेंट बना लिये, अगर आप उनको बनायेंगे तो आपको तो वह ५०० रुपये में पढ़ जायगा लेकिन अगर डी० पी० बनायेगा तो वह उसको ६०० और १००० में भी नहीं बना सकेगा। इसलिए आप मेरी अपील को मंजूर करके यह मकान खुद बनवा दीजिये या फिर जै-दूसरे मिनिसटर साहब आप के पास बैठते हैं मिनिसट्री आफ हाउसिंग उन के जरिये हमारे रेफ्यूजीज भाइयों के वास्ते मकान बनवा दीजिये। अधिक आपकी ज्वाएंट रिसर्पॉसिबिलिटी है। अब वर्क हाउसिंग मिनिसट्री को इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम में मकान बनाने के वास्ते मकान की लागत का $\frac{1}{3}$ बतौर लोन देती है और वह किस्तों में भ्रमा होता है और बाकी

$\frac{2}{3}$ मकान बनाने वाले भ्रामदी को देना होता है। आप इतना कम से कम उनसे करा दीजिये कि उनको ५०० रुपया कर दिया जाय और उनके ऊपर अगर आप मकान बनवा कर देना चाहें तो दे दे लेकिन मेहरबानी करके डी० पी० से और इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को दूर न हटायें और यह न कहें कि चूकि यह लौग पहले न मानते थे इसलिए इन के हक प्रौरफिट हो गए। उनकी कोई भी चीज प्रौरफिट नहीं हो सकती। गरीब भ्रामदी जब दुःख में हो तो उसको कोई भी चीज प्रौरफिट नहीं होती। वह तो इमदाद का मुस्तहक है और वह भ्राम भी उसी क्रम आपके कम्पेशन का मुस्तहक है जैसे पहले था। आप इस तरीके से उन को मकान बनवा दीजिये, चाहे अपनी मिनिसट्री से बनवा दीजिये चाहे दूसरी मिनिसट्री से बनवा दीजिये और चाहे कर्जा दिलवा दीजिये। लेकिन आपके जो उनको ऐम्प्लोरेसेज है, सारी कैबिनेट के और प्राइम मिनिसटर के जो रेफ्यूजीज को ऐम्प्लोरेसेज दिये गये हैं उनसे उनको बराब मेहरबानी महकूम न कीजिये। जो भी प्रीन्सीपल गैस आपकी मिनिसट्री के हैं उनको पूरा करें। दो छोटे-छोटे प्वाएंटेस मुझे और भ्रमल करने हैं

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो मैं आप से भ्रमल करने वाला था कि आप अपनी स्पीच खत्म करें।

पंडित ठाकुर दास जर्मन : जनाबवाला इसके लिए फिर कभी मौका नहीं धारिया। भ्रमलता अगर मैं इरीलेबेंट हो रहा हूँ तो आप मुझे बड़े शौक से रोक सकते हैं और मैं कोई गिला नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो मैं नहीं कहता अगर इस बिल पर कुल बकत जो दिया गया है, वह डेढ़ घंटे का है लेकिन आप जो कुछ और कहना चाहते हैं कह लें।

बंधित ठाकुर दत्त भार्गव : मेरी प्रबन्ध से गुजारा यह है कि इस बिल के लिए १ घंटा और बढ़ाया जाय क्योंकि इस पर बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे ।

अगर लीगल तरीके से इस बिल को और इसके प्राविकंस को देखें तो इस में कई प्वाएंटेज रहते हैं जो कि आपकी तबज़ह के मुस्तहक हैं ।

सब से अम्बल सवाल तो यह है कि आप हम से वसूल क्या करना चाहते हैं ? सन् १९५४ का जो हमारा ऐक्ट था हम ने इसको इतना लम्बा चौड़ा नहीं किया था । सन् १९५४ के बाद सन् १९५६ में एक नया ऐक्ट और पास कर दिया और जब वह नया ऐक्ट पास किया गया था तो उस वक्त में ने उस पर ऐतराज किया था लेकिन अब चूकि वह ऐक्ट बन चुका इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ और मेरे लिए अब वह ऐक्ट काबिले पाबन्दी है ।

सन् १९५४ के ऐक्ट में दफ़ा २१ बड़ी छोटी थी और वह इस तरह से थी :

"Any sum due to the Custodian in respect of any evacuee property acquired under this Act for any period prior to the date of the acquisition, or to the Central Government in respect of any property in the compensation pool may, on a certificate issued by the Chief Settlement Commissioner, be recovered in the same manner as an arrear of land revenue."

लेकिन सन् १९५६ के नये ऐक्ट की रू के इसका वायरा बड़ा लसी हो गया । मैं अपने को डिस्प्लेड पर्सनस तो नहीं कह सकता लेकिन उन रेप्यूजिड लोगों पर जिनको कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उन पर यह बहुत लम्बा चौड़ा बन कर आक्रिय हुई है । अब दफ़ा २१ यू है और

उसमें घोर पढ़ने की दफ़ा २१ में जो कर्क थाया है उसको मुताहिदा करमायें ।

"Any sum payable to the Government or to the custodian in respect of any evacuee property, under any agreement, express or implied, lease or other document or otherwise howsoever, for any period prior to the date of acquisition of such property under this Act, which has not been recovered under section 48 of the Administration of Evacuee property Act, 1950, and any sum payable to the Government in respect of any property in the compensation pool, may be recovered in the same manner as an arrear of land revenue."

इस में जो एक चीज बढ़ाई गई है उसकी तरफ़ ज़ास तीर से तबज़ह दिलाना चाहता हूँ । पढ़ने बाने में वह फ़लकाज नहीं थे । हम में यह जो कहा गया है :

"For the purposes of this section, a sum shall be deemed to be payable to the Custodian, notwithstanding that its recovery is barred by the Indian Limitation Act, 1908, or any other law for the time being in force, relating to limitation of actions."

यह पहले वाली दफ़ा में नहीं थे ।

हिन्दू ला में डेट आफ दी फ़ादर को प्रदा करने की पायस जिम्मेदारी बेटे पर आती है लेकिन यह जिम्मेदारी भी मियाद के अन्दर तक रहती है मियाद के बाहिर नहीं । ज़ास साहब को मैं जानता हूँ कि यह हमारी खान खीचने के बाले नहीं है । यह डी० पी० को तकलीफ़ देने के बाले नहीं आये हैं । मैं यह भी जाना हूँ कि शायद उनको यह पता नहीं है कि यह जो इसम जपज लिख दिय है "ऐसी सम इयू अंडर दिस एक्ट" उसके तो यह माने हो गये

This means any sum due on any account in any manner in any shape; whatever your charges may be, good, bad or indifferent, these will all be

(Compensation and Rehabilitation) Amendment Bill

realised from you under this Act whether barred by limitation or not. मैंने यह जो प्रापको इस नये एक्ट में दफ्त २१ को सम्बन्ध जोड़ा किया गया है उसको यहाँ पर पढ़ कर सुनाया और जनाबवाला बुद मुसाहिबा क्रमशः कि उसकी कितनी सम्बन्ध जोड़ी करना है ।

जब यह रेग्योरेंस दिये गये उस वक्त दिल्ली के डिस्प्लेस लोगो के जिम्मे गवर्नमेंट का बड़ी बारी रकम थी । अब १५ अगस्त १९४७ में लडाई, झगड़े मगरह हुये और यह रेक्यूजीब सन् ४८, ४९ में यहाँ भाये और आकर मकानो में वाखिल हो गये और इईकुई प्रापटी पर कम्ब्रा कर लिया और दूसरे मकानों पर कम्ब्रा कर लिख क्योंकि उस वक्त तो उनके सामने, सवाब जिन्दा रहने या जिन्दा न रहने का था । अब गाइगिल साहब ने जो रेट ड्यूज उनसे बसूल करने शुरू किये तो वह १५ अगस्त सन् १९४७ से बसूल करने शुरू किये जब कि शकीकत यह थी और जैती कि उन्होने करिवाब की की कि साहब हम लोग तो यहाँ १५ अगस्त सन् १९४७ को थे ही नहीं और हम तो कहीं सन् १९४८, ४९ में भाये हैं तो फिर हमसे १५ अगस्त सन् १९४७ से क्यों किराया बसूल किया जा रहा है । उस जमाने का किराया हमसे क्यों बसूल किया जा रहा है ? लेकिन मैं हाउस को बतलाना चाहता हूँ कि उनके रेंट ड्यूज में उस जमाने का भी किराया लगा हुआ है जब वह पाकिस्तान में थे ?

इसके अलावा श्री लाला को याद है कि उनकी मिनिस्ट्री ने उन मुसीबतबदा लोगो को क्षाने को दिया और कुबलन कैम्प बार्डों को उन्होंने ६ महीने का क्षाना दिया । यह सरकार बड़ा है जिसने कि लोगों का मुई बाप बन कर उनको क्षाना दिया और कपड़ा बँटारह दिया । बाद में हुआ यह कि उन लोगों के हिसाब में क्षाने का कई कई सै कमरा जोड़ दिया गया और अलवर और अजमेर में लोगों पर २०० और ३०० रुपये तक क्षाने के रुपये हिसाब दे लया किने ।

26 LMB-2.

जब इस तरह उनकी तबज्वह दिखाई गई कि साहब यह क्या मामला है और यह क्षाने का रूपया किसने हिसाब में लगा दिया की श्री लाला ने मेहरबानी करके उस क्षाने वाली रकम को लोगों के हिसाब में से हटा दिया और मैं लाला साहब का बहुत मसकूर हूँ और तमाम रेक्यूजीब माई उनके शुरूगुजार हैं कि इस तरह का ३५ लाख रूपया उन्होंने यक़रुनम हटा लिया । अगर उन्होंने उसको न हटाया होत तो हर एक के जिम्मे कई कई हजार रूपया जमा हो जाता । लेकिन धनी भी कितने ही धादवी ऐसे हैं जिनके कि हिसाब में यह क्षाने का रूपया लगा हुआ है और उसको हटाया नहीं गया है । कल ही मेरे पास बल्लभगढ़ के डिस्प्लेस लोगो की चिट्ठी माई है कि हम लोग लाला साहब की खिदमत में इसके बास्ते एक डेपुटेशन ले जाना चाहते हैं कि यह बुराक का रूपया उनके हिसाब में न लगाया जाय ।

उस जमाने में जिस वक्त कि यहाँ यह लोग भाये थे तो २२५, २२५ रूपया एक एक मकान का एक्सेसिव रेंट लगाया हुआ था । एक केस के बारे में मुझे जानकारी है कि जब उसके लिए रिप्रेजेंट किया गया और केस का रैब्यु हुआ तो मुझे याद आता है और जिसका कि मैंने अपनी पुरानी स्पीच में जिक्र भी किया था एक मादमी पर २२५ रुपये का एक्सेसिव रेंट लगा दिया था और रैब्यु में वह ८२ रुपये रह गया । इस तरह के एक्सेसिव रेंट के इसके दुकने केस नहीं हैं बल्कि सैकड़ों केसेज हैं ।

मैं दो, तीन बार्तें अर्बे कलंगा जे कि इससे भी ज्यादा सख्त हूँ । अलवर और भरतपुर के डरीब रेक्यूजीब जो कि बंधारे पढ़ लिखे नहीं हैं उनके नाम हुकम जारी किया गया कि देखो तुम क्षाने मत करना । जिनको पहले एग्जामेंट नहीं हुआ था और जिन को बोलने को उम्मीद थी है उनका क्लेम नहीं देखा जावेगा और उनका फ़ोई क्लेम नहीं है । गवर्नमेंट की सरकार से गॉवर्नमेन्टल रैब्यु हुकम और उसके बाद भी कुछ लोगों ने क्लेम किया ।

[पंडित ठाकुर दास भाग्य]

वह गरीब सैटिलमेंट प्रफ़रर के पास गंग और उनके सामने अपनी करि गद रखी । कहा यह, गया कि चूँकि यह नोटिफिकेशन है इसलिए ऐसे लोगों के क्लेम्स खारिज कर दिये गये तो फिर लक्ष्मा साहब के नोटिस में यह बात साई गई कि यह आप क्या करते हैं । आप ११०० रुपये ज़मीन के लेते हैं जब कि उतनी ज़मीन की कीमत नहीं है । और बचम देने नहीं तो बाबजूद नोटिफिकेशन के जिन्होंने क्लेम्स दिये उनको तो आपने फायदा दे दिया लेकिन जिन्होंने कि उस नोटिफिकेशन का एतबार करके क्लेम्स नहीं दिये वह आज तक वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं । ऐसे लोग आपका बाजिब रुपया कैसे खुशी से देंगे और आपको एंसें को जेल भेजने का हक क्यों दिया जाये अब जहा तक लक्ष्मा साहब की उस भंशा का ताल्लुक है कि वे लोग जो कि जान बूझ कर और कैपेसिटी रखते हुए भी रेट ड्यूज नहीं भदा करते हैं उनके साथसक्ती के साथ पेश आया जाय, मैं उससे मुत्तफिक हूँ और मुझे ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है और ऐसे लोगों को आप भले ही जेल खाने भेजें मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है । जो रुपया उनको दिया गया है उस रुपये को भी भदा न करे यह बाजिब नहीं है । मैं भदब से भजं कर्कंगा कि इसका एक इलाज है जो कि मुझ को सूझा है लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि उसको हमारे लक्ष्मा साहब पसन्द करेंगे या नहीं ।

मैं यह चाहता हूँ कि एक स्कीनिंग कमेटी बनायी जाय जो कि इन सारे ड्यूज व क्लेम्स को देखें । मैं यह सजेशन कोई सेंसर के तौर पर नहीं दे रहा हूँ । मेरी यह भंशा नहीं है । मैं तो चाहता हूँ कि इस कमेटी में मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हो, एक पार्लियामेंट का मेम्बर हो और एक रिफ्यूजीज का रिप्रजेंटेटिव हो जिसको आप एप्रूव करें, और यह कमेटी इन केसेज को देखें और आशुम करे कि इन के

खिलाफ़ जो रुपया बाजिब है वह ऐसा तो नहीं है जो कि भी भ्रजित प्रसाध जैन ने नाम-कलमेंट्स को भाफ कर दिया था । कुछ नाम-कनेमेंट्स को ५०० रुपय एक्सचेंजिया दिया गया था लेकिन पीछे से मिनिस्ट्री ने वह रुपया बसूल कर लिया । इसी तरह से सारे देश में रिफ्यूजी के लिए जो मड हाउसेज बनाये गये थे, जिन पर ६० हजार रुपया खर्च किया गया था और जो मकान ३० रुपये की मकान के हिसाब से बने थे उनके भी भाठ भाठ रुपये लोगों से बसूल कर लिए गये । मैं ने हाउस में कहा था कि यह भाठ भाठ रुपये तो भाफ कर दिये जाये लेकिन वह भाफ नहीं किये गये । तो मैं भदब स भजं करना चाहता हूँ कि यह कमेटी इन सारे केसेज को देखे और फैसला करे कि ऐसे कितने केसेज हैं जिनमें दरभस्त रुपया बाजिब है । इसमें ऐसे बहुत से भदानी निज़मेंगे जिनके जिम्मे दरभस्त एक पैसा भी नहीं होना चाहिये । उनको जो ५०० रुपय एक्सचेंजिया दिया गया था वह उनके नाम डाल दिया गया है । अगर उनको आप चाहें तो कैद कर सकते हैं । वह गरीब भदानी हैं । वह यहा तक भी नहीं भा सकते । लेकिन आपको उनके साथ इन्साफ़ करना चाहिए । इसी लिए मैं चाहता हूँ कि स्कीनिंग कमेटी बैठे और वह इन सब केसेज को देखे और जहा मुनासिब हो वहाँ रुपया बसूल किया जाय । इनमें बहुत से ऐसे केसेज भीजूद हैं जिनसे हम रुपया बसूल नहीं कर सकते । वह ऐसा रुपया है जिसको हम हज़म नहीं कर सकते । इस रुपये को सरकार को बसूल नहीं करना चाहिए ।

मैं तो समझता था कि आप हमारे मिनिस्टर साहब एक पारटिंग किस के तौर पर यह एमान करके सुर्ख होंगे कि उन्होंने सारे कर्ष जोड़ दिये जिस तरह से कि इंडिपेंडेंट के भपत सारे कैपी जोड़ दिये जाते हैं । मैं तो भ्राय यह उम्मीद करता था

Shri Mehr Chand Khanna: The Compensation Act is the legacy from this gentleman to me.

Mr. Deputy-Speaker: I was just going to make that remark.

Shri D. C. Sharma: You cannot say he was Minister of Rehabilitation.

Shri Mehr Chand Khanna: He was Chairman of the Select Committee.

बंधित ठाकुर दास भार्गव : मैं तो बहुत धरना सा मादनी हूँ । मेरे लिए ऐसा कहना बाजिब नहीं है ।

तो मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि हमने अपने कास्टीट्यूशन की आर्टिकल २० में यह प्रिंसिपल रखा है कि अगर कोई शरूस धाज जुर्म करता है और कल की धापका कानून बदल जाता है और उस जुर्म के लिए ६ महीने के बजाय साल भर की सजा रख दी जाती है, तो उस मादनी को साल भर की सजा नहीं मिलेगी बल्कि उसको तो ६ महीने की ही सजा मिलेगी । अगर मैंने सिविल राग किया है तो उस बक्त जो उसके लिए सजा थी वह मुझे मिलनी चाहिए । मैं धदब से प्रश्न करूँगा कि धाप उस से ज्यादा पेनाल्टी नहीं दे सकते जो कि सन् १९५४ में रखी गयी थी । इस सिलसिले में मैं जनाब की तबज्जह पचाब टिनन्ती एक्ट की दफा ९७ की तरफ दिखाना चाहता हूँ जिसमें कोई लंडसाई मजारे को जेल नहीं भिजवा सकता । इस लिए मैं धापके शाने की सेक्रेडनैस को तसलीम करते हुए यह धदब से प्रश्न करना चाहता हूँ कि मैंने जो तीन धर्मेट दिये हैं उन पर गौर कर लें । मैं चाहता हूँ कि धापका पैसा बसूल होना चाहिए । लेकिन मैं चाहता हूँ कि धाप उनके साथ सक्ती न करे । जिनको धापने पाला, पोला है, जिनको मकान दिये हैं, जिनको रहने का जगह दी है, अगर उनसे से किसी एक को भी जेल जाना पड़ा तो धापका बिल जो कि मोब जैसा है पिबल

जायेगा, इसलिए धापके दिल की कोपल को बचाने के लिए मैं चाहता हूँ कि धाप इन पावर्स को न लें । और अगर धाप इन पावर्स को लेते हैं तो इस बात का भी अस्तियार लीजिये कि अगर किसी के साथ बेइन्साफी या सक्ती होती है तो उसको धाप रिड्रेस कर सकें । ऐसा होगा तर्भः धाप कह सकेंगे कि मैंने पहले भी मला किया और अस्तियार में भी उनका भला किया ।

Some Hon. Members rose—

Shri Panigrahi rose—

Mr. Deputy-Speaker: Shri Panigrahi wants to speak?

Shri Panigrahi: From our side nobody has spoken.

Mr. Deputy-Speaker: Because this concerns the other side.

I will give opportunity to Members from the Punjab, and then that side.
Shri Sharma.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Listening to the speeches on the Bill, three words have made a great deal of impact on my mind. The first word is "circulation", the second word is "evaluation", and the third is "screening".

So far as the circulation of this Bill is concerned, I think that all the refugees, whether they are debtors or not, whether they are in arrears or not, will speak against it. I do not know what the reaction of the non-refugees will be to this Bill, but it is very difficult these days to distinguish between a refugee and a non-refugee. Most of the refugees have been assimilated into the population of India, and there are some unfortunate persons who have not yet been assimilated. Therefore, the circulation of this Bill, which will be a very tedious, long-drawn out process, cannot solve this problem. It cannot bring to light any facts which we do not already know. It cannot lay bare any more hardships than we already know of. Therefore,

[Shri D. C. Sharma]

circulation may delay the solution of the problem. It is not going to be a solution of the problem envisaged in this Bill. At the same time, it has been said—and I think the statement of the Minister on this point has been questioned—that refugee rehabilitation has not yet been completed. Most of the persons who speak on refugee rehabilitation are those who are not themselves refugees. It is good that they take up our cause, I thank them for pleading our cause.

Mr. Deputy-Speaker: Has he more to say?

Shri D. C. Sharma: A great deal to say.

Mr. Deputy-Speaker: He may do so on the next day.

14.31 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FORTY-FOURTH REPORT

Sardar A. S. Saigal (Janjgir): I beg to move:

“That this House agrees with the Forty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th April, 1959”.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

“That this House agrees with the Forty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th April, 1959”.

The motion was adopted.

POPULATION CONTROL BILL

Shri Balkrishna Wasnik (Bhandara-Reserve—Sch. Castes): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for controlling the rapidly increasing population of India and for matters incidental thereto.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for controlling the rapidly increasing population of India and for matters incidental thereto.”

The Minister of Health (Shri Karmarkar): On behalf of Government, I oppose the introduction of this Bill.

My first objection is that *prima facie* the Bill appears to be one which would require the consent of the President for introduction. It envisages a population tax. I think the hon. Mover himself has some feeling likewise.

Shri Balkrishna Wasnik: There is no population tax envisaged by me.

Shri Karmarkar: Then the hon. Member had not been feeling that this would require the President's consent?

Shri Balkrishna Wasnik: No, no. There is no population tax suggested by me. I have suggested a penalty.

Shri Karmarkar: Penalty means another way of imposing a stricter tax.

Shri Balkrishna Wasnik: It is not a tax. Penalty does not mean tax.

Shri Karmarkar: The other point is that the Bill seeks to penalise, for instance, amongst other things, any one who has three children living.

Mr. Deputy-Speaker: I am just looking into it. It penalises many things.

Shri Karmarkar: Yes, Sir. It would disturb the peace of every household if this Bill were to be introduced. I am sure that many Members of this hon. House would also begin to feel uneasy.

Mr. Deputy-Speaker: Is the hon. Minister taking up the cause of others or of himself?

Shri Karmarkar: No, on behalf of Government. No doubt, happily or unhappily, the Minister of Health will